पाजपत्र

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत [illegible] .... मुकाम भादरा

[illegible] आदि .... बनाम .... [illegible] आदि

किस्म मुकदमा 88 RTA .... नं. 83 / 15.5.18 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15/5/18	आज यह प्रकरण रिपोर्ट सहित [illegible] द्वारा लोक अदालत में पेश हुआ। पक्षकार राजेश को वादीगण के शरीक [illegible] के खाता नं. 27/35 की 6.325 हेक्टर के प्रतिवादी नं. 15 [illegible] हिस्सा में हक हिस्सा [illegible] पेश किया है। वकील वादी श्री [illegible] ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः राजीनामा स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा का वादीगण डिक्री [illegible] [illegible] की जाती है। [illegible] सूची में वादीगण 1 व 2 [illegible] प्रतिवादी नं. 1 [illegible] [illegible] डिक्री जारी हो। [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कैम्प .... सदस्य लोक अदालत भादरा सदस्य लोक अदालत भादरा	राजेश यादव [illegible] पहचानकर्ता [illegible] [illegible] भादरा सुमन सुनीता [illegible] पहचानकर्ता [illegible]

पर्चा डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 83 / 18

अनवान :
1. राजेश पुत्र जगमालसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. देशबन्धु पुत्र जगमालसिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. जगमालसिंह पुत्र फुला उर्फ मनफुल यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री जगमालसिंह यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री जगमालसिंह यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. मन्जु पुत्री जगमालसिंह यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. एसबीबीजे (एसबीआइ) शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राज़स्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 भोजासर में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 बीएचडी के खाता सं० 27 / 25 के मु० न. 13 के किला न. 14 ता 17, 24, 25 मु० न० 14 के किला न. 11 ता 25, मु० न० 15 के किला न. 11, 20, 21 मु० न० 32 के किला न. 1 कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी जगमाल सिंह का 220 हिस्सा में नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी स. 1 को बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ